



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-02122025-268141
CG-TL-E-02122025-268141

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5349]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 1, 2025/अग्रहायण 10, 1947

No. 5349]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 1, 2025/AGRAHAYANA 10, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 27 नवंबर 2025

का.आ. 5537(अ).—केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 2 के खंड (37ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, “डोर्नकल जंक्शन में रेल ओवर रेल (आरओआर) फ्लाईओवर (10.5 कि.मी.)” को जन प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय अवसंरचना प्रदान करने के लिए तेलंगाना राज्य के खम्मम और महबूबाबाद जिले में भूमि अधिग्रहण हेतु आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक विशेष रेलवे परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. W.Con.182/SRP-24/DKJ-ROR/25-26/291/37A]

सुनील कुमार वर्मा, मुख्य इंजीनियर / निर्माण-IV

MINISTRY OF RAILWAYS
(SOUTH CENTRAL RAILWAY)

NOTIFICATION

Secunderabad, 27th November 2025

S.O. 5537(E).— In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 the Central Government hereby notifies "Rail Over Rail (ROR) Flyover at Dornakal Junction (10.5 Km)" as a Special Railway Project for acquisition of land in the State of Telangana in the Districts of Khammam and Mahabubabad for providing National Infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. W.Con.182/SRP-24/DKJ-ROR/25-26/291/37A]

SUNIL KUMAR VERMA, Chief Engineer/Con-IV